

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4004/2021

अजमेर एजुकेशनल ट्रस्ट, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिसका पंजीकृत कार्यालय 28, ओंकार नगर, गोखले मार्ग, सिविल लाइंस, अजमेर में है, दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल के नाम से शैक्षणिक संस्थान-स्कूल चला रहा है, जनाना अस्पताल के पास, चाचियावास, सीकर रोड, अजमेर, अजमेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
- अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (कर), परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर।
- जिला परिवहन अधिकारी, अजमेर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(यों) के लिए : श्री नमोनारायण शर्माउत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री समीर शर्मा

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

आदेशअवनीश झिंगन, जे. (मौखिक):09/02/2024

- यह याचिका 01 फरवरी, 2021 के संचार को रद्द करने के लिए दायर की गई है। इसके अलावा 16 मार्च, 2021 के मांग नोटिस को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि ब्रम्हांड ट्रस्ट एक स्कूल चला रहा है और छात्रों के परिवहन के लिए 15 बसें चला रहा है। ब्रम्हांड ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (संक्षेप में "अधिनियम") के अंतर्गत बसों के लिए कर में छूट मांगी थी। 1 फरवरी, 2021

को छूट देने से इनकार कर दिया गया और 16 मार्च, 2021 को डिमांड नोटिस जारी किया गया।

3. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ यह शिकायत उठाने के लिए दायर की गई है कि छूट को बिना कोई आदेश पारित किए, केवल सूचना जारी करके अस्वीकार कर दिया गया।

4. उत्तरदाता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि छूट के लिए प्रार्थना को वैधानिक प्रावधानों और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया था।

5. 1 फ़रवरी, 2021 का पत्र स्पष्ट आदेश की पूर्व-आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करता है। छूट प्रदान करना/अस्वीकार करना एक अर्ध-न्यायिक कार्य है और कानून में यह सुस्थापित है कि प्राधिकरण को अपने कार्य का निर्वहन करते समय स्पष्ट आदेश पारित करना होगा।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम श्री मसूद अहमद खान एवं अन्य, 2010(9) एस.सी.सी 496 में निम्नलिखित निर्णय दिया था:

“क. भारत में न्यायिक प्रवृत्ति हमेशा से ही कारणों को दर्ज करने की रही है, यहां तक कि प्रशासनिक निर्णयों में भी, यदि ऐसे निर्णय किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

ख. अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण को अपने निष्कर्षों के समर्थन में कारण दर्ज करने होंगे।

ग. कारणों को दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य न्याय के व्यापक सिद्धांत की पूर्ति करना है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए कि न्याय किया गया है।

घ. कारणों को दर्ज करना न्यायिक और अर्ध-न्यायिक या यहां तक कि प्रशासनिक शक्ति के किसी भी संभावित मनमाने प्रयोग पर एक वैध संयम के रूप में भी कार्य करता है।

ड. कारण यह आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर तथा बाह्य विचारों की उपेक्षा करके विवेक का प्रयोग किया गया है।

च. न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और यहां तक कि प्रशासनिक निकायों द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की सेवा करने के समान ही तर्क वस्तुतः निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य घटक बन गया है।

छ. कारण उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं।

ज. विधि-शासन और संवैधानिक शासन के प्रति प्रतिबद्ध सभी देशों में प्रचलित न्यायिक प्रवृत्ति प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत निर्णयों के पक्ष में है।

यह वस्तुतः न्यायिक निर्णय लेने की जीवनरेखा है जो इस सिद्धांत को प्रमाणित करती है कि तर्क ही न्याय की आत्मा है।

झ. आजकल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय भी उतने ही भिन्न हो सकते हैं जितने कि उन्हें देने वाले न्यायाधीश और प्राधिकारी। इन सभी निर्णयों का एक ही उद्देश्य है, और वह है तर्क द्वारा यह प्रदर्शित करना कि प्रासंगिक कारकों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया गया है। न्याय प्रणाली में वादियों का विश्वास बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है।

ञ. न्यायिक जवाबदेही और पारदर्शिता दोनों के लिए तर्क पर जोर देना आवश्यक है।

ट. यदि कोई न्यायाधीश या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं है, तो यह जानना असंभव है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति मिसाल के सिद्धांत के प्रति या वृद्धिवाद के सिद्धांतों के प्रति वफादार है।

ठ. निर्णयों के समर्थन में तर्क ठोस, स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए। तर्कों का दिखावा या "रबर-स्टाम्प तर्क" को वैध निर्णय लेने की प्रक्रिया के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।

ड. इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। निर्णय लेने में पारदर्शिता न केवल न्यायाधीशों और निर्णयकर्ताओं को गलतियाँ करने से बचाती है, बल्कि उन्हें व्यापक जाँच के दायरे में भी लाती है।

ढ. चूंकि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता निर्णय लेने में निष्पक्षता के व्यापक सिद्धांत से उत्पन्न होती है, इसलिए उक्त आवश्यकता अब वस्तुतः मानवाधिकारों का एक घटक है और इसे स्ट्रासबर्ग न्यायशास्त्र का हिस्सा माना जाता था।

ण. सभी सामान्य विधि क्षेत्राधिकारों में, निर्णय भविष्य के लिए मिसाल कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, विधि के विकास के लिए, निर्णय के लिए कारण बताना अनिवार्य है और वस्तुतः "उचित प्रक्रिया" का एक हिस्सा है।

7. छूट की प्रार्थना को अस्वीकार करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। 1 फरवरी, 2021 का पत्र अपास्त किया जाता है। मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से तय करने के लिए उत्तरदाता संख्या 2 को वापस भेजा जाता है।

8. किसी भी और विलंब से बचने के लिए, कृपया अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 2 के कार्यालय में 28.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित हों। यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संख्या 2, उत्तरदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार कार्यवाही यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करेगा।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

प्रीति असोपा /56

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate